(87)

माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प : इन्दौर

P 1200-PB2-17

रिविजन याचिका क्रं. :................../2017

प्रस्तुति दिनांक : 18–04–2017

नरेन्द्र पिता ओंकारसिंह ठाकुर
आयु : 33 वर्ष, व्यवसाय : व्यापार,
भागीदार, नेक्सस बिल्डकॉन,
पता : ग्राम पानदा, तह. महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.) —— प्रार्थी

श्री मोहन शर्मा अभिभाषक द्वारा ... पर प्रस्तुत
18/4/17

विरूद्ध

1. कलेक्टर, जिला इन्दौर
2. एस.डी.ओ. (राजस्व),
एस.डी.ओ. कार्यालय, महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.) —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत

प्रार्थी का निवेदन है कि :–

प्रार्थी यह निगरानी कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रं. 2/पुनर्विलोकन/2016–17 में पारित आदेश 7–4–2017 जिसके माध्यम से प्रार्थी के हित में पूर्व पारित व्यपवर्तन आदेश दिनांक 26–10–2015 का पुनर्विलोकन करने की अनुमति प्रतिप्रार्थी क्रं. 2 को प्रदत्त की गई है, से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है कि :–

अविरत........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1200-पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदक की ओर से श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	